

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 33/23

तारीख 31/3/2023

बालू पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. मोहन पुत्र किशना जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. भंवरलाल पुत्र बोथलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. मांगीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 20/4/2023

प्रार्थना पत्र बालू पुत्र हीरा जाति धाकड निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 63 पर अंकित आराजी संख्या 543/341 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 63 पर अंकित आराजी संख्या 543/341 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 33/23

तारीख 20/4/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या33..... / 2023 पत्थरगढी बाबत।

बालू पुत्र हीरा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम

01. मोहन पुत्र किशना जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
02. भंवरलाल पुत्र बोथलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
03. मांगीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि ग्राम बेरीसाल पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 63 पर अंकित आराजी संख्या 543/341 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाँ खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



.....
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ भीलवाड़ा